हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300 २५५

रकबा : 19 कनाल 3 मरला

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/केअ02/ 1899 घा0 9/2014 – भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम की है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015–16 अराजी खेवट/खाता न. 130/153 मुस्ततील न. 33 कीला न. 19/2(5–7), 22(8–0), 23/2(0–13) व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/2(6–18), 3(8–0), 8(8–0), 9(8–0), 12/2(2–13), 13/1(3–11) किता 9 रकबा 51 कनाल 2 मरला का 3/8 भाग रकबा 19 कनाल 3 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह की अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तिय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तिय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम–खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Rajwanti

Sachin

Scanned with CamScanner

दिनाँक 08/05/2019

प्रलेख नः 244

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION

तहसील/सब-तहसील तावडु

गांव/शहर फतेहपुर

धन सबंधी विवरण

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.4753289(पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Service Charge: 200.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार वकील

यह प्रलेख आज दिनाँक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:51:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमति राजवंती जांघू पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जांघू निवासी द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री श्रीमति राजवंती जांघू

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सचिन जांघू दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिनोरी निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 08/05/2019

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
तावडु

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
तावडु

Scanned with CamSca

मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र भीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम के हक में हस्तांत्रित करती हूं। कब्जा हस्तांत्रित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होगें। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति मैंने होश–हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद् रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांत्रित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू

ह0 सम्पति ग्रहिता : सचिन जांघू

Raj wanti

गवाह 1 मनजेस कुमार नम्बरदार
गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Manjesh
Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

गवाह 2 असोक s/o फोगाट
फतेहपुर

Ashok

Scanned with CamSca

4

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति/खून के रिश्ते में।

246

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300

रकबा : 30 कनाल 0 मरला

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/ केअ02/ 1899 घा0 9/2014 – भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम का है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015–16 व इंतकाल नं. 1077 अराजी खेवट/खाता न. 130/153 मुस्ततील न. 33 कीला न. 19/2(5–7), 22(8–0), 23/2(0–13) व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/2(6–18), 3(8–0), 8(8–0), 9(8–0), 12/2(2–13), 13/1(3–11) किता 9 रकबा 51 कनाल 2 मरला का 600/1022 भाग रकबा 30 कनाल 0 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह का अकेला मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तिय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तिय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौक़े पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम–खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व आर्यन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम एक

Scanned with CamSca

प्रलेख न: 246 दिनाँक 08/05/2019

डीड सबंधी विवरण
डीड का नाम TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION तहसील/सब-तहसील तावडू गांव/शहर फतेहपुर
धन सबंधी विवरण
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.47531001 पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार वकील Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनाँक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:56:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जांघू पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मौर सिंह निवासी द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री सत्यनारायण जांघू

उप/सयुँक्त पंजीयन अधिकारी
तावडू

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी आर्यन जांघू दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिनौरी निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 08/05/2019

उप/सयुँक्त पंजीयन अधिकारी
तावडू

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुँक्त पंजीयन अधिकारी
तावडू

Scanned with CamSca

ही परिवार के सदस्य है। जो कि मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र आर्यन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम के हक में हस्तांत्रित करता हूं। कब्जा हस्तांत्रित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होगें। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति मैंने होश–हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद् रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांत्रित कर्ता : सत्यनारायण जांघू

ह0 सम्पति ग्रहिता : आर्यन जांघू

गवाह 1 मनजेस कुमार नम्बरदार
गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Manjesh
Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

गवाह 2 अशोक S/o दिनाहे
फतेहपुर

Ashok

Scanned with CamSca

1

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर 247

शब्द : 300

रकबा : 3 कनाल 3 मरला

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/के0अ02/ 1899 धा0 9/2014 – भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम की है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015–16 व इंतकाल न. 1002 तकसीम मंजूरशुदा अराजी खेवट/खाता न. 129/152 मुस्ततील न. 33 कीला न. 13/2/2(1–6), 18/1(7–8), 23/1(7–7), व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/1(1–2) किता 4 रकबा 17 कनाल 3 मरला का 33/343 भाग रकबा बयकदर रकबा 3 कनाल 3 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह की अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तिय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तिय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तारआम–खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Boy want

Scanned with CamSca

प्रलेख न: 247 दिनांक 08/05/2019

डीड संबंधी विवरण

डीड का नाम TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION

तहसील/सब-तहसील तावडू

गांव/शहर फतेहपुर

धन संबंधी विवरण

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.47532645 पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार वकील Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:59:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती राजवन्ती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जांगू निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री श्रीमती राजवन्ती

उप/सयुंक्त/पंजीयन अधिकारी
तावडू

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जांगू स्वंदर हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिनोरी निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 को पहचान करता है।

दिनांक 08/05/2019

उप/सयुंक्त/पंजीयन अधिकारी
तावडू

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत दस्तावेज की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप / सयुंक्त/पंजीयन अधिकारी
तावडू

Scanned with CamSca

मेरा पति है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने पति सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम के हक में हस्तांत्रित करती हूं। कब्जा हस्तांत्रित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होगें। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति मैंने होश–हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद् रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांत्रित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू ह0 सम्पति ग्रहिता : सत्यनारायण जांघू

गवाह 1 मनजेस कुमार नम्बरदार
गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Sarbarahe Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

गवाह 2 अशोक S/o [illegible]
फतेहपुर

DRAFTED BY
ASHOK KUMAR
Distt. Court, NUH

Scanned with CamSca

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
247	2019-2020	1

पेशकर्ता

दावेदार

गवाह

उप /सर्युक्त पँजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमती राजवन्ती		Raj wanti
दावेदार	सत्यनारायण जांपु		Satya
गवाह	मनजेश कुमार नम्बरदार		Manjesh
गवाह	अशोक कुमार		Ashok

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 247 आज दिनांक 08/05/2019 को बही नः 1 जिल्द नः 1,382 के पृष्ठ नः 161 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,390 के पृष्ठ सख्या 13 से 15 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 08/05/2019

उप/सर्युक्त पँजीयन अधिकारी
तावडु

Scanned with CamSca

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300 245

रकबा : 10 कनाल 17 मरला

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/केअ02/ 1899 घा0 9/2014 – भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम की है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015–16 व इंतकाल न. 1002 तकसीम मंजूरशुदा अराजी खेवट/खाता न. 129/152 मुस्ततील न. 33 कीला न. 13/2/2(1–6), 18/1(7–8), 23/1(7=7), व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/1(1–2) किता 4 रकबा 17 कनाल 3 मरला का 217/343 भाग रकबा बयकदर रकबा 10 कनाल 17 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह की अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तिय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तिय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम–खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Rajwanti Singh

Scanned with CamSca

प्रलेख न: 245

दिनाँक 08/05/2019

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION

तहसील/सब-तहसील तावडु

गांव/शहर फतेहपुर

धन सबंधी विवरण

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.4753279(पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Service Charge: 200.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार वकील

यह प्रलेख आज दिनाँक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:53:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती राजवन्ती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जान्गू निवासी द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उप/सयुँक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री श्रीमती राजवन्ती

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सचिन जांघू दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिनोरी निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 08/05/2019

उप/सयुँक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुँक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

Scanned with CamSca

मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम के हक में हस्तांत्रित करती हूं। कब्जा हस्तांत्रित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होगें। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति मैंने होश–हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद् रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांत्रित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू

ह0 सम्पति ग्रहिता : सचिन जांघू

गवाह 1 मनजेस कुमार नम्बरदार
गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Sarbarahi Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

गवाह 2

DRAFTED BY

Scanned with CamSca

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
245	2019-2020	1

पेशकर्ता

दावेदार

गवाह

उप /सयुँक्त पँजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमती राजवन्ती		Rajwanti
दावेदार	सचिन जांघु		Sachin
गवाह	मनगेश कुमार नम्बरदार		Mahesh
गवाह	अशोक कुमार		Ashok

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 245 आज दिनाँक 08/05/2019 को बही नः 1 जिल्द नः 1,382 के पृष्ठ नः 160 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,390 के पृष्ठ सख्या 7 से 9 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठ मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 08/05/2019

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
तावडु

Scanned with CamSca

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
244	2019-2020	1

पेशकर्ता

दावेदार

गवाह

उप /सयुँक्त पँजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमति रानवंती नांधू	
दावेदार	सचिन नांधू	
गवाह	मनजेश कुमार नम्बरदार	
गवाह	अशोक	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 244 आज दिनाँक 08/05/2019 को बही नः 1 जिल्द नः 1,382 के पृष्ठ नः 160 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,390 के पृष्ठ सख्या 4 से 6 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठ मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 08/05/2019

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
तावडु

Scanned with CamSca